न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43/2018

1 श्रीमती हाजरा उम्र 75 साल पत्नी स्व. श्री असगर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी हाल वार्ड संख्या 23 मोयल कालोनी झुन्झुनू पुत्री स्व. वजीरी पुत्री स्व. कालु खां निवासी झुन्झुनू जरिए मुखत्यार आम श्री रामस्वरूप पुत्र श्री लादुराम जाति माली निवासी मोहल्ला नागरपुरा वार्ड नम्बर 20 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्री हमीद अहमद आयु 62 साल पुत्र स्व. श्री यासीन खां जाति कायमखानी निवासी मोहल्ला खत्रीयान वार्ड संख्या 34 झुन्झुनू तह व जिला झुन्झुनू।
2 श्री अलाउदीन खां आयु 73 साल
3 श्री नसीर अहमद आयु 68 साल
4 श्री हबीब अहमद आय 66 साल पुत्रान स्व. श्री यासीन खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण मोहल्ला खत्रीयान वार्ड संख्या 34 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
5 राजस्थान सरकार राज्य जरिए तहसीलदार झुन्झुनू तह व जिला झुन्झुनू।
6 नगर परिषद झुन्झुनू जरिए आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 23.05.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू मुकदमा उनवानी हमीद अहमद बनाम अल्लादीन खां वगै. मु.नं. 402/2008 दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा एवं खाता विभाजन

अपील संख्या 44/2018

1 श्रीमती हाजरा उम्र 75 साल पत्नी स्व. श्री असगर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी हाल वार्ड संख्या 23 मोयल कालोनी झुन्झुनू पुत्री स्व. वजीरी पुत्री स्व. कालु खां निवासी झुन्झुनू जरिए मुखत्यार आम श्री रामस्वरूप पुत्र श्री लादुराम जाति माली निवासी मोहल्ला नागरपुरा वार्ड नम्बर 20 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्री हमीद अहमद आयु 62 साल पुत्र स्व. श्री यासीन खां जाति कायमखानी निवासी मोहल्ला खत्रीयान वार्ड संख्या 34 झुन्झुनू तह व जिला झुन्झुनू।
2 श्री अलाउदीन खां आयु 73 साल
3 श्री नसीर अहमद आयु 68 साल
4 श्री हबीब अहमद आय 66 साल पुत्रान स्व. श्री यासीन खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण मोहल्ला खत्रीयान वार्ड संख्या 34 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

5 राजस्थान सरकार राज्य जरिए तहसीलदार झुन्झुनू तह व जिला झुन्झुनू।
6 नगर परिषद झुन्झुनू जरिए आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांकित 01.12.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू मुकदमा उनवानी हमीद अहमद बनाम अल्लादीन खां वगै. मु.नं. 402/2008 दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा एवं खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री जहीर मोहम्मद फारूकी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री आबिद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 402/2008 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2011 व 01.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ बंटवारा एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 415/1, 415/1703 जिसके हाल खसरा नम्बर 1111, 1111/4014, 1112, 1113, 1114, 1114/4013 वाके ग्राम झुन्झुनू का पेश किया। विचारण न्यायालय बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष की सहमति दर्ज करते हुए डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्राथमिक व अन्तिम डिक्री के खिलाफ यह दोनों अपीलें धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को वादग्रस्त आराजी का 1/4, 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उक्त अनुसार भौतिक बंटवारा करवा कर खाता विभाजन करने एवं विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर उसके अनुसार दावा स्वीकार कर अंतिम आदेश व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट हाजरा को वादग्रस्त आराजी में से उसके हक हकूक से महरूम करने एवं वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से हड़प जाने के इरादे से साजिशी तोर पर कोल्यूजन करके विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जिसमें जानबूझकर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं विचारण न्यायालय के समक्ष गलत व झूठे तथ्य पैश किए गए एवं सही तथ्यों को छुपाया गया। कस्बा झुन्झुनू की सरहद में चुरू बाईबास से हटकर भूमि पुराने खसरा नम्बर 415, 415/1, 415/1703 कुल रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा पुख्ता स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1111 रकबा 2.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 5.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114/4013 रकबा 1.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1111/4014 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 11.0200 हैक्टेयर दर्ज हुएं। अदालत के आदेश की पालना में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा वादग्रस्त आराजी के खाता विभाजन करके नये नम्बरान दर्ज कर दिए गए। तत्पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने पुत्रों व पुत्रियों के हक में नुमाइशी विक्रयपत्र व दान पत्र आदि निष्पादित करवाए जाने के पश्चात उक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 453/1111 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 4354/1111 रकबा 0.57 है., 1114/4013 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 1111/4014 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 4361/1112 रकबा 0.03 है., 4362/1111 रकबा 0.01 है., 4363/1113 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 4364/1114 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 4365/1114/4030 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 4355/1113 रकबा 2.00 है., खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 1111 रकबा 1.59 है., खसरा नम्बर 4356/1111/4014 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4357/1114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4353/1113 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 4359/1111 रकबा 0.345 है., दर्ज हुए। वादपत्र की धारा नम्बर 1 में वर्णित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कालु खां पुत्र शेर खां कौम कायमखानी निवासी झुन्झुनू था। उक्त कालुखा अपीलान्ट के नाना थे। श्री कालुखां एवं उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के नाना स्व. श्री कालुखां के केवल दो जाइन्दा पुत्रियां श्रीमती वजीरी जो अपीलान्ट की माता जी थी एवं श्रीमती सुगरा पैदा हुई। कालुखां की वारिस अपीलान्ट की माता जी श्रीमती वजीरी हुई। स्व. श्री कालु खा के देहान्त पर अपील की धारा नम्बर 7 में वर्णित आराजी अपीलान्ट की माता जी श्रीमती वजीरी को उत्तराधिकार में विरासतन प्राप्त हुई एंव उसका कब्जा काश्त रही। श्रीमती वजीरी का भी देहान्त हो चुका है वजीरी के अपीलान्ट हाजरा पुत्री है इस प्रकार स्व. कालुखां की वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट की माता श्रीमती वजीरी एवं वजीरी की वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट होने के हिसाब से कालुखां की वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट हाजरा है। खातेदार काश्तकार कालुखां को देहान्त हो जाने पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण उसकी पुत्री अपीलान्ट की माता जी श्रीमती वजीरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के नाम दर्ज होना चाहिए था किन्तु रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 4 के पिता जी श्री यासीन खा बहुत ही चालाक व चतुर व्यक्ति थे उन्होंने अपीलान्ट की माताजी से छुपकर बिना उनकी सहमति के एवं उन्हें बताए बगैर बाला बाला व गुपचुप तरीके अपने आप को गलत रूप से कालुखां का पुत्र होना बताकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सांठ गांठ करके गलत तौर पर नामान्तकरण संख्या 121 अपने नाम दर्ज करवा लिया किन्तु उसे तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज फरमा दिया गया कि 'इन्तकाल गलत दर्ज किया गया है पुरे वारिसान के नाम सही इन्तकाल दर्ज करके पेश किया जावे यह इन्तकाल खारिज तसवर हो।' इस पर उक्त यासीन खां ने पुनः राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ व मिली भगत करके गलत जांच करवा कर श्री भगवाना राम चौधरी नाम व्यक्ति जो झुन्झुनू का निवासी भी नही था कि गलत रूप से तस्दीक करवाकर पुनः इन्तकाल संख्या 598 अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट की माता जी को उस समय नहीं हुई क्योंकि उक्त यासीन खां ने इन्तकाल की सम्पूर्ण कार्यवाही को पूर्णतः गोपनीय रखा किन्तु वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त कालुखा की उत्तराधिकारी व वारिस होने के नाते अपीलान्ट की माता जी श्रीमती वजीरी का रहा। उक्त आराजी को वजीरी अपने पिता जी कालु खां के जीवनकाल में उनके साथ काश्त करती थी एवं कालु खां के देहान्त के पश्चात वजीरी अकेली उक्त आराजी को काश्त करने लगी तत्पश्चात अपीलान्ट भी अपनी माता जी वजीरी के साथ उक्त आराजी को काश्त करने लगी एवं अपीलान्ट की माता जी वजीरी के देहान्त के दिन से अपीलान्ट अकेली उक्त आराजी को काश्त करती आ रही हैं अपीलान्ट का ही बहैसियत काश्तकार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता श्री यासीन खां का दिनांक 08.04.1988 को देहान्त हो गया जिसके देहान्त पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने चुपचाप तरीके से अपीलान्ट की जानकारी एवं सहमति के बिना राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में जरिए इन्काल संख्या 2056 दर्ज करवा लिए। अपीलान्ट भी पर्दानशीन घरेलू अनपढ औरत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने नाम दर्ज करवाया गया इन्तकाल अपीलान्ट के खातेदारी हकुको के विपरित शून्य एवं बेअसर है क्योंकि जब यासीन खां ही, रिकार्डेड खातेदार काश्तकार कालु खा का का जाइन्दा पुत्र नहीं था एंव यासीन खां को ही वादंग्रस्त आराजी में कोई खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं हुए थे एवं उसके नाम जो राजस्व रिकार्ड था वह ही प्रारम्भ से शून्य व बेअसर था तो फिर यासीन खां के देहान्त के पश्चात यासीन खां के वारिसान की हैसियत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को हकूक खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 नाजाइज व गैर कानूनी तरीके से भू–माफियाओं से मिलकर अपील की धारा नम्बर 7 में वर्णित आराजी की किस्म परिवर्तन करने पर एव उसे खुर्द बुर्द करने पर अमादा हुए इसी लिए उन्होंने विचारण न्यायायल में नुमाइशी दावा संख्या 402/2008 प्रस्तुत करके उसमें दिनांक 01.12.2014 को अंतिम डिक्री प्राप्त करली। इसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही होने से उक्त निर्णय व अन्तिम डिक्री अपीलान्ट के अधिकारों के विपरित प्रारम्भ से ही शुन्य एवं बेअसर है एवं इसकी पालना में तहसीलदार द्वारा की गई खाता विभाजन आदि की कार्यवाही भी अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर है। अपीलान्ट को जब उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तो उसने दिनांक 28.02.2017 को अपने अधिवक्ता महोदय की मार्फत रिजस्टर्ड डाक से रेस्पोडेन्टस अलाउदीन खां, नसीर खां व हबीब खा को नोटिस दिलवा कर सूचित किया कि उनके नाम से जो वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड गलत तोर पर दर्ज हो गया है उसे नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में दुरूस्त करवाकर अपीलान्ट हाजरा के नाम दर्ज करवा कर राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का अंकन करवा देवे यानि हाजरा के पक्ष में राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा देवे अन्यथा बाद गुजरने मियाद नोटिस आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में दावा दायर किया जावेगा जिसके समस्त हर्जे खर्चे की आपकी जिम्मेदारी होगी। उक्त नोटिस उक्त व्यक्तियों को प्राप्त हो गया जिस पर पहले तो वह अपीलान्ट को आश्वासन देते रहे कि उनसे गलती हो गई है वह शिघ्र ही अपने नाम राजस्व रिकार्ड से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हजफ करवा कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा देंगे किन्तु उन्होंने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं करवाया ना ही राजस्व रिकार्ड में से अपना नाम हटवाया ना ही अपीलान्ट के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया बल्कि दिनांक 30.07.2017 को अपीलान्ट से उन्होंने ने झगड़ा किया व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया इस कारण अपीलान्ट ने एक दावा उनवानी हाजरा बनाम अलादीन खां मु.नं. 116/2017 बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली अदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज हो गया जिस के विरूद्ध अपीलान्ट ने अदालत हाजा में अपील संख्या 01/2018 प्रस्तुत कर रखी है जिसमें दिनांक 16.01.2018 को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी हो चुंका है जो अब भी प्रभावी है। उपरोक्त प्रकार जब स्वयं यासीन खां को ही वादग्रस्त आराजी में कोई खातेदारी हकूक हासिल नहीं हुए थे तो उसके पुत्रों के हक में विचारण न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 01.12.2014 विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपने आवेदन धारा 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि अपीलान्ट का विचारण न्यायालय के निर्णय एवं अंतिन्म डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम माह फरवारी 2017 में होने पर उसने अपने अधिवक्ता की मार्फत नोटिस प्रेषित करवाया उसके पश्चात दावा नम्बर 116/2017 बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली अदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 73/2017 प्रस्तुत कर उनकी पैरवी की। उक्त दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज हो जाने पर उस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

01/2018 प्रस्तुत की एवं उसके पैरवी की तथा मौजूदा अपील प्रस्तुत करने के लिए संबन्धित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जिनमें अपीलान्ट का काफी खर्चा हो गया। अपीलान्ट गरीब वृद्ध बेरोजगार विधवा औरत है उसके स्वयं की कोई आय नहीं है एवं उसके पास इतनी राशि नहीं थी कि वह दावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपील एवं मौजूदा अपील का खर्चा एक साथ वहन कर सके अब अपीलान्ट सम्पूर्ण खर्चा राशि वकील साहब की फीस की व्यवस्था करके यह अपील प्रस्तुत कर रही है। इस न्यायालय में लंबित यह दोनों अपीलें विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2011 एवं 01.12.2014 के विरूद्ध 21.03.2018 को प्रस्तुत की गई है। इन दोनों निर्णयों की जानकारी अपीलांट को फरवरी 2017 में होना अपीलांट स्वयं स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जानकारी के उपरांत भी 14 माह पश्चात यह अपीले प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब का संतोष्रपद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में दावा संख्या 116/2017 प्रस्तुत किया गया जो आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज होने पर उसकी अपील संख्या 01/2018 इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाना भी अपीलांट की स्वीकारोक्ति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार भी नहीं माना जा सकता है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपने आवेदन धारा 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि अपीलान्ट का विचारण न्यायालय के निर्णय एवं अंतिन्म डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम माह फरवारी 2017 में होने पर उसने अपने अधिवक्ता की मार्फत नोटिस प्रेषित करवाया उसके पश्चात दावा नम्बर 116/2017 बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली अदालत उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका

अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 73/2017 प्रस्तुत कर उनकी पैरवी की। उक्त दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज हो जाने पर उस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 01/2018 प्रस्तुत की एवं उसके पैरवी की तथा मौजूदा अपील प्रस्तुत करने के लिए संबन्धित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जिनमें अपीलान्ट का काफी खर्चा हो गया। अपीलान्ट गरीब वृद्ध बेरोजगार विधवा औरत है उसके स्वयं की कोई आय नहीं है एवं उसके पास इतनी राशि नहीं थी कि वह दावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपील एवं मौजूदा अपील का खर्चा एक साथ वहन कर सके अब अपीलान्ट सम्पूर्ण खर्चा राशि वकील साहब की फीस की व्यवस्था करके यह अपील प्रस्तुत कर रही है। इस न्यायालय में लंबित यह दोनों अपीलें विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2011 एवं 01.12.2014 के विरूद्ध 21.03.2018 को प्रस्तुत की गई है। इन दोनों निर्णयों की जानकारी अपीलांट को फरवरी 2017 में होना अपीलांट स्वयं स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जानकारी के उपरांत भी 14 माह पश्चात यह अपीले प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब का संतोष्रपद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में दावा संख्या 116/2017 प्रस्तुत किया गया जो आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज होने पर उसकी अपील संख्या 01/2018 इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाना भी अपीलांट की स्वीकारोक्ति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार भी नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर